

संख्या- ए. 20011/26/2018- हिन्दी
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
समन्वय निदेशालय, (पुलिस बेतार)

खंड-9, कें.स. का. परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली -3
दिनांक: 31 मई, 2022

सेवा में,

अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र- भोपाल, रांची केन्द्र के संयुक्त सहायक निदेशक/स्टेशन अधीक्षक

विषय: सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन कार्य मूल रूप से हिंदी में करने के लिए लागू नकद पुरस्कार योजना वर्ष 2020-2021 में भाग लेने वाले कार्मिकों का हिंदी में किए गए कार्यों के प्रमाणित दस्तावेज भेजने के संबंध में ।

कृपया उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के दिनांक 08 मार्च 2022 के परिपत्र संख्या ए. 20011/26/2018-हिंदी का संदर्भ ग्रहण करें।

2. सूचित किया जाता है कि आपके केन्द्र/संस्थान से इस योजना में भाग लेने वाले कार्मिकों का विवरण बिना प्रमाणित दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुआ है, जिसका संदर्भ संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	केन्द्र/संस्थान का नाम	पत्र संख्या व तिथि
(क)	अं.रा.पु.बे. केन्द्र- रांची	ए. 20011/1/2021-रांची/42, दिनांक 24/05/2021
(ख)	अं.रा.पु.बे. केन्द्र- भोपाल	A. 20011/01/2019-BPL-207, दिनांक 28/03/2022
(ग)	सी.पी.आर.टी.आई., नई दिल्ली	जे. 18015/1 (Misc)/21-प्र., दिनांक 25/03/2022

3. इस संबंध में निदेशालय के दिनांक 17 मई 2022 के पत्र संख्या A.15018/1/2022-Ad.I-1 के कार्यालय आदेश का संदर्भ लें, जिसके तहत वार्षिक पुरस्कार योजना में भाग लेने वाले पात्र कार्मिकों के हिंदी कामकाज का मूल्यांकन उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिप्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाना है।

4. उपरोक्त के संबंध में सभी संबंधित केन्द्रों के केन्द्र अधीक्षकों एवं केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान से अनुरोध है कि वे इस योजना में भाग लेने वाले कार्मिकों के हिंदी कामकाज से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज की छाया प्रतियां अतिशीघ्र इस कार्यालय में अग्रेषित कर दें, ताकि इनके कार्यों का मूल्यांकन किया जा सके। प्रमाणित दस्तावेजों की छाया प्रतियों को dinesh.71@dcpw.gov.in ई-मेल आई.डी. पर पी.डी.एफ. फॉर्मेट में स्कैन कर के भी भेज सकते हैं।

राजीव कुमार सिंह
31.5.2022

(डॉ. राजीव कुमार सिंह)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

टेलीफोन- 011-24361588

ई-मेल: rajivkumar.79@dcpw.gov.in

प्रतिलिपि.

संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)
केन्द्रीय पुलिस रेडियो संस्थान, नई दिल्ली

: कृपया आवश्यक कार्रवाई हेतु।